पेज 1 का शेष भाग

92,000 लेकर भी बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज

थाने में घुसते ही एसएचओ ने उसके मां-बाप को इतनी अश्लील गालियां देनी शुरू की कि उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। राजकुमार व प्रीती को अंदर एक कमरे में बंद करके धमकाना व पीटना शुरू कर दिया गया तथा बाकी लोग बाहर खड़े रहे। हालात की नजाकत को देखते हुए हरजिन्दर सिंह ने अपने एक नज़दीकी राजू को बुला लिया जोकि एक स्थानीय दैनिक रेपको न्यूज का रिपोर्टर बताया गया। रिपोर्टर साहब के आने के बाद राजकुमार व प्रीती को छोड़ने के लिए सौदेबाजी 2 लाख से शुरू होकर 90 हजार पर तय हो जाने के बाद रात के 10 बजे उन्हें कल सुबह आकर उक्त पेमैंट कर देने की शर्त पर छोड़ दिया गया।

अगले दिन यानी 4.2.10 को ये सभी लोग फिर से आ गए। राजकुमार के छोटे भाई रिंकू ने जैसे तैसे इधर-उधर से 90 हजार रुपए का जुगाड़ कर लिया था। रकम का भुगतान थाने के भीतर एसएचओ कक्ष में राजकुमार के भाई रिंकू ने अपने मित्रों - राजू, कृष्ण, हरजिन्दर व अन्यों की मौजूदगी में राजू रेपको न्यूज़ रिपोर्टर को किया जिसने रकम तुरंत एसएचओ को यह कहते हुए सौंप दी कि बंदा ठीक है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है।

इसके बाद एसएचओ ने अपने एक मातहत को मौका मुआयना करने जीवा स्कूल के गेट पर भेजा। वहां तैनात विनोद नामक गार्ड से उस पुलिसकर्मी ने 2.2.10 को 12.30 बजे वाली वारदात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस दिन भी वह इसी गेट पर तैनात था और दिन के 12.30 बजे यहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसी तरह का बयान वहां बैठे एक धोबी ने भी दिया। इस कार्रवाई के एवज में राजू रिपोर्टर ने रिंकू से 2000 रुपए अलग से उस पुलिसकर्मी को दिलवाए। इसके बाद एसएचओ ने पुलिस चौकी 21बी में जाकर रपट रोजनामचा नं. 9 दर्ज की जिसमें वह पुरानी रपट नं. 24 का हवाला देते हुए लिखता है कि कोई संज्ञेय अपराध होना नहीं पाया गया।

इसके बाद थाने में आकर पूजा को बुलाया गया। राजकुमार व प्रीती के हाथ पुलिसवालों से पकड़वाए गए तथा पूजा ने खूब जी भरकर उनके मुंह पर चप्पलें मारने के बाद यह लिख कर दिया कि वह अपनी शिकायत पर लोकलाज की वजह से कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। अंत में उसने यह भी लिख दिया कि यदि 'मेरे' राजकुमार ने आइंदा कोई बदतमीजी की तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी। रिश्वत में प्राप्त 92 हजार की रकम में से जब पूजा को वाजिब हिस्सा नहीं मिला तो उसने फ़िर राजकुमार को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर राजकुमार व रिंकू ने सारी कहानी तत्कालीन डीसीपी सेंट्रल शशांक आनंद को दे दी। आनंद ने मामले की जांच एसीपी ट्रेफ़िक रामकिशन को सौंप दी जिसकी सूचना तुरंत एसएचओ अब्दुल को भी मिल गई जिससे उसका आग बबूला होना स्वभाविक था। उसने राजकुमार को सबक सिखाने की नीयत से पूजा को उकसा कर 15.4.10 को बलात्कार का उक्त मुकदमा दर्ज कर लिया।

एसएचओ अब्दुल की दीदा दिलेरी उस वक्त तो देखने लायक थी जब राजकुमार जांच में शामिल होने एसीपी रामकिशन के दफ़्तर पहुंचा तो एसीपी से पहले वह पूजा व राजू रिपोर्टर को लेकर पहुंच गया तथा जबरन राजकुमार को उठाकर अपनी जिप्सी में डालने लगा। इसी बीच राजकुमार के भाई रिंकू ने डीसीपी शशांक को फ़ोन लगा दिया। सारी बात सुनकर डीसीपी ने कहा कि एसएचओ से उनकी बात कराओ। रिंकू ने जब एसएचओ के मुंह के पास फ़ोन लगाकर कहा कि लो डीसीपी साहब से बात कर लो तो वह कहता है, 'मैंने ऐसे डीसीपी बहुत देखे हैं और कईयों के नंबर मेरे पास भी हैं....'। रिंकू ने डीसीपी से कहा कि आपने सुन लिया जनाब एसएचओ तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। इस पर डीसीपी ने तुरंत एसीपी रामकिशन को, जो तब तक आ चुके थे, फ़ोन किया तब जाकर एसीपी ने उसे जिप्सी में से उतारा। विदित है कि शशांक आनंद आईपीएस होने के अलावा राज्य पुलिस प्रमुख रंजीव दलाल के दामाद भी हैं और अब अंबाला ज़िले में एसपी तैनात हो चुके हैं। जो एसएचओ और वह भी केवल एसआई (सब इंस्पेक्टर) रैंक का, इतने महत्वपूर्ण अधिकारी को औकात बता सकता है तो उसकी पीठ पर भी कोई बड़ा ही हाथ है जिसके दम पर वह खुलेआम लूट मार कर रहा है। एसीपी द्वारा की जाने वाली जांच को वह किसी नाटक से ज्यादा कुछ नहीं समझता। सारे मामले को अधिक गहराई से समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है।

एसएचओ अब्दुल की दीदा दिलेरी उस वक्त तो देखने लायक थी जब राजकुमार जांच में शामिल होने एसीपी रामकिशन के दफ़्तर पहुंचा तो एसीपी से पहले वह पूजा व राजू रिपोर्टर को लेकर पहुंच गया तथा जबरन राजकुमार को उठाकर अपनी जिप्सी में डालने लगा। इसी बीच राजकुमार के भाई रिंकू ने डीसीपी शशांक को फ़ोन लगा दिया। सारी बात सुनकर डीसीपी ने कहा कि एसएचओ से उनकी बात कराओ। रिंकू ने जब एसएचओ के मुंह के पास फ़ोन लगाकर कहा कि लो डीसीपी साहब से बात कर लो तो वह कहता है, 'मैंने ऐसे डीसीपी बहुत देखे हैं और कईयों के नंबर मेरे पास भी हैं....'। रिंकू ने डीसीपी से कहा कि आपने सुन लिया जनाब एसएचओ तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। इस पर डीसीपी ने तुरंत एसीपी रामकिशन को, जो तब तक आ चुके थे, फ़ोन किया तब जाकर एसीपी ने उसे जिप्सी में से उतारा। विदित है कि शशांक आनंद आईपीएस होने के अलावा राज्य पुलिस प्रमुख रंजीव दलाल के दामाद भी हैं और अब अंबाला ज़िले में एसपी तैनात हो चुके हैं। जो एसएचओ और वह भी केवल एसआई रैंक का, इतने महत्वपूर्ण अधिकारी को औकात बता सकता है तो उसकी पीठ पर भी कोई बड़ा ही हाथ है।

पूजा सेक्टर-16 स्थित रिलायंस बीमा कंपनी में बतौर कमीशन एजेंट काम करती थी। कंपनी में राजकुमार भी पूजा के ऊपर अधिकारी था। पूजा कामकाज के मामले में बिल्कुल नाकारा थी। इसके द्वारा बनाए गए तमाम ग्राहकों के चैक बाऊंस हो जाने से ब्रांच मैनेजर इससे परेशान रहता थी। बार-बार समझाने व चेतावनी देने का भी जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने इसे काम से हटा दिया। अपनी इस सजा के लिए पूजा राजकुमार को जिम्मेदार ठहरा कर उसे धमकियां देने लगी और एक दिन (दिनांक 25.1.10) उसने पुलिस चौकी सेक्टर-16 में राजकुमार के विरुद्ध दरखास्त दी कि कंपनी के बाहर पार्किंग एरिया में राजकुमार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं, जान से मार देने व तेजाब फ़ेंकने की धमकी दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौका मुआयना किया। तमाम परिस्थितियों के आधार पर पुलिस ने उसकी दरखास्त को झूठा पाकर दोनों पक्षों को चौकी से चलता कर दिया। यहां चौकी वालों ने एक ग़लती कर दी जो अक्सर पुलिस वाले करते हैं। पुलिस को चाहिए था कि वह झूठी दरखास्त देकर पुलिस को गुमराह करने के एवज में पूजा के विरुद्ध सीआरपीएस की धारा 182 के तहत कार्रवाई करती। पुलिस द्वारा ऐसा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप पूजा तुरंत थाना सेंट्रल पहुंच गई। वहां बैठे एक श्रीमान जी ने बिना कोई पड़ताल के आईपीसी की धारा 294, 506 के तहत मुकदमा नं. 35 दर्ज करके अपनी जान छुड़ाना बेहतर समझा। राजकुमार ने अपनी जमानत करा ली। पुलिस ने चालान दाखिल अदालत कर दिया।

पूजा इतने से संतुष्ट नहीं हुई थी। उसने दो काम एक साथ शुरू कर दिए। एक तो राजकुमार को मोबाइल पर धमकियां देने का तथा दूसरा एनआईटी थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने का। राजकुमार ने मोबाइल पर मिली धमकियां जब जाकर थाना सैंट्रल में पेश कीं तो थाने वालों के कान खड़े हो गए और वे पूजा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 384 (ब्लैकमेलिंग) के तहत मुकदमा दर्ज करने लगे। लेकिन यहां राजकुमार ने एक 'गलती' यह कर दी कि पूजा द्वारा दी गई धमकियों के बाबत उसने थाने के साथ-साथ एक दरखास्त डीसीपी शशांक आनंद को भी दे दी थी। इसलिए सारा मामला थाने से उठकर डीसीपी के दरबार में चला गया जहां न कुछ होना था और न हुआ।

इस सारी पुलिस कार्रवाई के दौरान पूजा द्वारा राजकुमार को फ़ोन करने व उस पर सौदेबाज़ी करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा जिसकी सारी रिकॉर्डिंग राजकुमार के पास मौजूद है। इसी सौदेबाजी के तहत पूजा, राजकुमार व उसके भाई रिंकू के साथ 26 मई को डीसीपी शशांक से सेक्टर 21सी स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मिले जहां पूजा ने अपने हाथ से डीसीपी को लिख कर दिया कि वह अपने बलात्कार के मुकदमे में कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती तथा इस बाबत सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराने को तैयार है। अगले दिन ये सभी लोग कोर्ट में भी एक साथ गए थे लेकिन वहां पूजा ने जो बेहूदा शर्तें लगानी शुरू की तो राजकुमार व उसका भाई रिंकू पुनः 27 मई को पुलिस कमिश्नर से मिले। इसके अगले दिन राजकुमार की पत्नी संगीता ने भी एक दरखास्त कमिश्नर पीके अग्रवाल को देकर उनके परिवार को पूजा की ब्लैकमेलिंग तथा पुलिस उत्पीड़न से बचाने की गुहार लगाई जिसका कोई असर कहीं होता नज़र नहीं आया और इस बीच मामला सीआईए को स्थानांतरित हो चुका था और सीआईए वाले राजकुमार के पीछे बुरी तरह से लगे हैं। राजकुमार व उसका परिवार किसी तरह से जान बचाता भागता फ़िर रहा है।

सीआईए वाले भी बेचारे क्या करें? उनका तो अब एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से भी एसएचओ अब्दुल की जान छूटे और यह तभी छूटती है जब बलात्कार का मुकदमा सिद्ध हो या पूजा राजीनामा करने के लिए 164 के बयान दर्ज कराए। अब पूजा के भाव तो इतने बढ़े हुए हैं कि उनको चुका पाना राजकुमार परिवार के बस का नहीं। ऐसे में सीआईए के पास पहला विकल्प ही बचता है जिसके लिए वह ऐड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है।

अन्य विकल्प भी हैं। पूजा के विरुद्ध 384 का तथा एसएचओ व उसके साथियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सही ढंग से कार्रवाई की जाए। परंतु उसकी फ़िलहाल इस अंधेर नगरी में कोई संभावना नहीं दिखती।

आए दिन डीजीपी कार्यालय में लोग ज़हर खा-खा कर मर रहे हैं, वे इसी तरह पुलिस ज़्यादतियों के शिकार हुए थे। लेकिन इसके बावजूद डीजीपी महोदय अपनी पुलिस की कार्यशैली बदलने में पूरी तरह अक्षम नज़र आते हैं। हां भाषणबाज़ी, लिफ़ाफ़ेबाज़ी व अख़बारों में विज्ञापनबाज़ी में उनका कोई मुकाबला नहीं।

ईएसआई में ठेका कर्मियों का शोषण

मज़दूरों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले जितने भी संगठन हैं, वे ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते हैं। ठेकेदारी प्रथा एक तरह से बंधुआ मज़दूरी का ही दूसरा रूप है। ठेकेदारी प्रथा के महत मज़दूरों से सभी नियम-कानून को परे कर काम लिया जाता है और उन्हें वेतन अथवा मज़दूरी का भुगतान भी स्थाई कर्मियों की तुलना में बहुत ही कम किया जाता है। यही नहीं, ठेके पर काम करने वालों से ज़्यादा और कठिन काम लिया जाता है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। यही नहीं, जब चाहे, उन्हें हटाया भी जा सकता है। आज धीरे-धीरे हर जगह यही नीति अपनाई जा रही है कि स्थाई कर्मियों की जगह ठेके पर भर्ती कर सिर्फ़ फ़ैक्ट्रियों में ही नहीं, बल्कि हर सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में कर्मियों से काम कराया जाये। मज़दूर विरोधी सरकार को भी यह नीति मुफ़ीद नज़र आती है। तभी तो सरकारी ईएसआई अस्पताल में ठेके पर कर्मियों की बहाली की गई और अब उनका वेतन रोक कर उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। आंदोलनरत कर्मियों को चाहिए कि वे वेतन दिये जाने के मुद्दे के साथ वे अपने आप को स्थाई किये जाने की मांग भी रखें। आज धीरे-धीरे हर जगह यही नीति अपनाई जा रही है कि स्थाई कर्मियों की जगह ठेके पर भर्ती कर सिर्फ़ फ़ैक्ट्रियों में ही नहीं, बल्कि हर सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में कर्मियों से काम कराया जाये। मज़दूर विरोधी सरकार को भी यह नीति मुफ़ीद नज़र आती है। तभी तो सरकारी ईएसआई अस्पताल में ठेके पर कर्मियों की बहाली की गई और अब उनका वेतन रोक कर उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। आंदोलनरत कर्मियों को चाहिए कि वे वेतन दिये जाने के मुद्दे के साथ वे अपने आप को स्थाई किये जाने की मांग भी रखें।

मेडिकल शिक्षा में भ्रष्टाचार : जिम्मेदार कौन?

लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा आंखें मींचे रखने का मतलब है कि लूट और गिरावट में वह भी बराबर की भागीदार है। इस तरह के कालेजों से पास होकर निकले डाक्टरों की पोल तब खुली जब ये अस्पतालों में इंटर्नशिप करने पहुंचे। वहां पता चला कि इनके पास डाक्टरी की डिग्री तो है, परंतु आता-जाता कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इस धंधे पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हां, विघटित सोवियत संघ के देशों से जो लोग सस्ते में डाक्टरी पढ़ कर आते थे, उनको हतोत्साहित करने के लिए एमसीआई ने स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रावधान कर दिया। यह इसलिए किया गया था ताकि वहां पढ़ने जाने की बजाय छात्र यहां के शिक्षा व्यापारियों का कारोबार बढ़ायें। तथा दूसरा यह कि केतन देसाई जैसों के माध्यम से लूट का मोटा माल घर बैठे प्राप्त होता रहे। यह घोटाला केवल मेडिकल शिक्षा में हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इंजीनियरिंग कालेजों की मान्यता विश्वविद्यालयों की मान्यता में तो यह घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर हो ही रहा है, राज्य और ज़िला स्तर पर भी स्कूलों व कालेजों की मान्यता के मामले में भी राज्यों के उच्चाधिकारी तथा ज़िलाधिकारी अपनी-अपनी औकात के अनुसार लूटने-खाने व शिक्षा के स्तर को गिराने व देश की नई पीढ़ी का बेड़ा गर्क करने में पूरी निर्ममता से जुटे हैं।

विदित है कि इस कारोबार की शुरुआत बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत से हुई थी। इस कारोबार में राजनेता भी बड़ी संख्या में हैं। ये लोग धन बल के साथ-साथ अपने राजनीतिक प्रभाव का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सरकार से ऐसी नीतियां बनवाते हैं जिनसे इनका कारोबार खूब फले-फूले, देश तथा देश की जनता जाये भाड़ में। सरकार को इससे दोहरा लाभ होता है। एक तो यह कि शिक्षा पर होने वाला 'व्यर्थ' का खर्च बचता है जिसे वह अपनी एय्याशियों पर खर्च कर सकती है।

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अंक में ईएसआई में श्रमिकों की दुर्दशा को अच्छी तरह उजागर किया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि श्रमिकों के पैसे पर चलने वाले ईएसआई अस्पतालों में श्रमिकों को संतोषजनक चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती।

ईएसआई का यह हाल आज का कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पहले से चल रहा है। नगर निगम चुनावों पर भी ठीक ही लिखा गया है। जनगणना में जाति के मुद्दे पर संतुलित विचार प्रकट किया गया है। इसी तरह खाप पंचायतों पर प्रकाशित टिप्पणी भी संतुलित है। मेडिकल काऊंसिल के भ्रष्टाचार पर आपने जम कर लिखा है। कुल मिला कर यह अंक बहुत ही पसंद आया। गप-शप कॉलम भी व्यंग्यात्मक और मनोरंजक है।

- चिंतन कुमार, गुड़गांव

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। पहले की भांति ही इस अंक की सामग्री भी अच्छी है। ईएसआई में श्रमिकों की दुर्दशा कोई नई बात नहीं है। पूरी तरह मज़दूरों के पैसे से चलने वाले ईएसआई अस्पतालों की व्यवस्था में अनेकों खामियां हैं और वर्तमान भ्रष्ट सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इन अस्पतालों की व्यवस्था में कोई सुधार कर सके।

अंक में प्रकाशित अन्य सारे लेख भी अच्छे लगे। जनगणना में जाति एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सरकार भी इस सवाल पर असमंजस में है कि वह क्या करे और क्या न करे जबकि शुरू में वह जनगणना में जाति के उल्लेख पर तैयार हो गई थी। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों की मनमानी बढ़ती चली जा रही है।

आश्चर्य की बात है कि बहुत से उच्च पदस्थ और पढ़े-लिखे लोग भी निहित स्वार्थ में इन निरंकुश खाप पंचायतों का समर्थन करते हैं। आपके अख़बार में इस विषय पर प्रकाशित टिप्पणी पूरी तरह संतुलित है।

- हरबंश लाल, पलवल

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। पहले की भांति ही यह अंक भी हर दृष्टि से ठीक लगा। ईएसआई पर आप जो भी लिखते रहे हैं, वह मैं बराबर पढ़ता रहा हूं। पता नहीं, सरकार तक ये बातें पहुंचती हैं या नहीं? ऐसा नहीं लगता कि ईएसआई की व्यवस्था में कोई सुधार संभव नहीं है। इसका कारण है वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार। नगर निगम चुनावों पर जो भी लिखा गया है, वह ठीक है। मेडिकल काऊंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आपने सच्चाई को सामने लाया है। अब तो यह काऊंसिल भंग कर दी गई है, पर मेडिकल शिक्षा के नाम पर लूट का कारोबार बंद होने वाला नहीं है। अंक में प्रकाशित अन्य लेख भी अच्छे हैं।

- रामप्रकाश चोपड़ा, फरीदाबाद

मज़दूर मोर्चा के इस अंक में प्रकाशित रचनाओं के स्तर को देख कर लगा कि यह एक व्यवस्था विरोधी और क्रांतिकारी अख़बार है।

इसमें प्रकाशित सभी समाचार और लेख वर्तमान शोषक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। मुझे इस अंक की सभी रचनायें अच्छी लगीं। पहले के अंकों को भी मैं पढ़ता रहा हूं। इस अख़बार का प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। साथ ही मज़दूर मोर्चा पाठक मंच का भी गठन किया जाना चाहिए और उसके माध्यम से पाठकों के बीच आपस में चर्चा और गोष्ठी आदि करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस अख़बार को पाक्षिक के बजाय साप्ताहिक बनाया जाये और इसके प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जाये।

- चंचल सिन्हा, गुड़गांव